सराहनीय कार्य
दिनॉक 25.03.2019
पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा

अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री बरामद–02 अभियुक्त गिरफ्तार–:

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. दिनेश तिवारी पुत्र बजरंग निवासी खमौली थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. मायाराम पुत्र गुरूवचन निवासी आनन्दनगर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी विवरण–

01.	01 अदद तमंचा 12 बोर।
02.	01 अदद अर्द्धनिर्मित .22 राइफल।
03.	07 अदद नाल 12 बोर।
04.	04 अदद नाल 315 बोर।
05.	05 अदद नाल 32 बोर।
06	04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
07.	01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर।
08.	04 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
09.	04 अदद खोखा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 133/19 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह द्वारा जनपद मे अवैध रूप से शस्त्र रखने व निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के लिये समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व सख्त निर्देश दिये थे। उक्त निर्देशों के क्रम में थाना धानेपुर पुलिस को बढी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 24.03.2019 को थानाध्यक्ष धानेपुर को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि असलहा तस्करी व निर्माण मे संलिप्त **राजेश्वरी पाण्डेय पुत्र तुलादत्त निवासी सिरपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा** भारी मा्त्रा में अवैध शस्त्र अपने घर में बनाने का कार्य कर रहा है। इस सूचना पर थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा सिर पुरवा मौजा दत्तनगर मे दबिश देकर उक्त अभियुक्तगणों को **गिरफ्तार किया गया व भारी मात्रा में अवैध असलहे व असलहे बनाने के उपकरण बरामद किये गये, मौके से राजेश्वरी पाण्डेय पुत्र तुलादत्त फरार होने में सफल रहा।**

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना धानेपुर पर मु0अ0सं0 133/19 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 शादाब आलम।
02. उ0नि0 अशीष कुमार, 03. उ0नि0 सुदामा लाल।
04. हेड का0 विनोद पाण्डेय, 05. हेड का0 राजेन्द्र यादव।
06. का0 अभिमन्यू गुप्ता, 07. का0 आनन्द उपाध्याय, 08. का0 प्रवीण कुमार पाण्डेय।
09. म0 का0 नन्दनी पाण्डेय।

सराहनीय कार्य
दिनांक 25.03.2019
पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा

तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़, 11 निर्मित, 05 अर्धनिर्मित असलहा व कारतूस सहित भारी मात्रा मे शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. देवी चरण उर्फ पुजारी वर्मा पुत्र स्वः राम नरेश वर्मा निवासी पूरे कड़वलिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी विवरण–

01. 01 अदद 12 बोर अद्धी बन्दूक।
02. 08 अदद देशी तमंचा 12 बोर।
03. 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर।
04 05 अदद अर्धनिर्मित 12 बोर नाल।
05. 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
06. 08 अदद खोखा कारतूस 12 बोर।

शस्त्र बनाने के उपकरण –

(01)इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन (02) हथौड़ा (03) हैमना (04) प्लास, 05. रेती, 06. रिपिट, व अन्य उपकरण/सामग्री

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 97/19 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह द्वारा जनपद मे अवैध रूप से शस्त्र रखने व निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के लिये समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व स्वाट टीम को सख्त निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में थाना को0 देहात पुलिस को बढी सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 25.03.2019 को प्रभारी स्वाट टीम को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि असलहा तस्करी व निर्माण मे संलिप्त **देवी चरण उर्फ पुजारी वर्मा पुत्र स्वः राम नरेश निवासी पूरे कड़वलिया थाना को0 देहात** भारी मात्रा में अवैध शस्त्र अपने घर में बनाने का कार्य कर रहा है। इस सूचना पर स्वाट टीम व थाना को0 देहात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बहद ग्राम पूरे कड़वलिया मे दबिश देकर उक्त अभियुक्त को **गिरफ्तार किया गया व मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहे व असलहे बनाने के उपकरण बरामद किये गये।**

देवी चरण ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैने अपने घर पर काफी दिनो से अवैध शस्त्र बनाने की फैक्टरी लगा रखी है वहीं से असलहो का निर्माण कर बेचता हूँ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0 97/19 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक को0 देहात राजनाथ सिंह।
02. प्रभारी स्वाट मनोज कुमार सिंह।
03. उ0नि0 राजकुमार सिंह स्वाट टीम।
04. उ0नि0 विनय कुमार यादव थाना को0 देहात।
05. उ0नि0 कुलदीप त्रिपाठी थाना को0 देहात।
06. हेड का0 श्रीनाथ शुक्ला स्वाट टीम।
07. हेड का0 जितेन्द्र कुमार थाना को0 देहात।

08. का0 मुलायम, 09. का0 अमित यादव, 10. का0 अजीत चन्द्र, 11. रामप्रताप मौर्या, 12. का0 अनुज वर्मा, 13. का0 अदित्य पाल, 14. का0 राजेन्द्र यादव, 15. का0 सतवंत शर्मा स्वाट टीम।
16. का0 जितेन्द्र कुमार, 17. का0 कमल सिंह, 18. का0 अयोध्या प्रजापति, 19. मा0का0 रेनू रावत, 20. मा0का0 सुमन यादव थाना को0 देहात।

प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–25.03.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **46 वाहनों से मु0– 8900 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भा0द0वि0/34 पुलिस अधिनियम में 16 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 32 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

03 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 24.03.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 340 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. ननका पत्नी गमलू निवासी खैरी थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–242/19, 02. सूरज पुत्र गोली निवासी खैरी थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–243/19, 03. अजय पुत्र अलगू निवासी मनसा केशवपुर पहडवा थाना को0नगर गोण्डा जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–244/19 धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. संदीप पुत्र कुन्दनलाल निवासी बेलवा नौहर थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–96/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामविलास सोनकर पुत्र लालमन सोनकर निवासी सोखुई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–91/19, 02. मनीष पुत्र हीरालाल निवासी जोकही थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–92/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सन्तराम पुत्र शिव प्रसाद निवासी अम्बरपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–144/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सुनील पुत्र आसमान निवासी बडनापुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–68/19, 02. रोहित पुत्र हरिमंगल निवासी अमदही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–69/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना कर्नलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामअचल पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी बसरिया थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–137/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

तेरही पुत्र रामसुन्दर निवासी गौथनी खानपुर थाना वजीरगंज करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 **ली0** अवैध कच्ची मिश्रित शराब, 500 ग्राम यूरिया व 300 ग्राम नौशादर बरामद कर मु0अ0सं0–120/19, धारा 272.273 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामशरन कोरी पुत्र रामअवतार निवासी रेतादल थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 100 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–98/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही–

थाना मोतीगंज से अभियुक्त–

जनपद गोण्डा के थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा नाजायज नाकू के साथ अभियुक्त– बब्लू पुत्र लालबहादुर निवासी केवलपुरा थाना मोतीगंज गोण्डा जनपद गोण्डा को गस्त के दौरान गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना मोतीगंज में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0–74/19, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल– 04 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

बरामदगी–

01. 340 ली0 अवैध कच्ची शराब।